

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

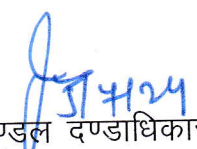
धारा 107 दं०प्र०सं०

प्रथम पक्ष – योगेन्द्र यादव ....

बनाम

द्वितीय पक्ष – विरेन्द्र गोप ।

वाद सं० 18/2016

| आदेश की क० सं० एवं तिथि | <u>दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                         | <p>अभिलेख उपस्थापित:-</p> <p>थाना बसिया के अप्राथमिकी सं० 08/2016 दिनांक 06/04/2016 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि <b>प्रथम पक्ष</b> (1) योगेन्द्र यादव उम्र 32 वर्ष पिता हरखनाथ यादव ग्राम ससिया थाना बसिया जिला गुमला <b>बनाम द्वितीय पक्ष</b> (1) विरेन्द्र गोप उम्र 35 वर्ष पिता अर्जुन गोप ग्राम ससिया थाना बसिया जिला गुमला के बीच आपसी विवाद को लेकर वाद है। फलस्वरूप उभय पक्ष के द्वारा शांति एवं विधि व्यवस्था भंग होने की सम्भावना को लेकर वाद लाया गया था।</p> <p>अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि उक्त वाद की कार्रवाई अवधि में उभय पक्षों के बीच किसी प्रकार की शांति भंग एवं विधि व्यवस्था भंग होने की सूचना अप्राप्त है। उक्त वाद की समय अवधि समाप्त हो चुकी है।</p> <p>उक्त वाद की कार्रवाई अभिलेख एवं ऑनलाईन में बंद नहीं होने के कारण आज दिनांक <u>5/3/24</u> को उक्त वाद के अभिलेख एवं ऑनलाईन में बंद किया जाता है।</p> <p>लेखापित ।</p> <p style="text-align: right;"><br/>अनुमण्डल दण्डाधिकारी<br/>बसिया (गुमला)।</p> |                                |